हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 6 फरवरीं, 2009

संख्या का0आ0 16 /ह0अ0 6/2003/धा0 59/2009. — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2009, दिनांक 7 जनवरी, 2009 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, –

(i) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,

(क) क्रम संख्या 21 तथा उसके सामने प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियॉं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"21	जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला तथा बाओमास रोलज (ब्रिकेट्स)";

(ख) क्रम संख्या 38 ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"38 ग	नंदीं फाऊडेशन हैदराबाद को राज्य प्रदायकों द्वारा जिला झज्जर, महेन्द्रगढ़, कैथल तथा मेवात जिले में स्वच्छ पानी की समस्या वाले 100 गांवों में, रिवर्स ओसमोसिस पर अधारित स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने हेतु परियोजना क्षेत्र में बेचे गये प्लांट तथा मशीनरी के लिए प्री–फैबरीकेटिड़ हाऊसिंग युनिटस";

(ग) क्रम संख्या 42 तथा उसके सामने प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियॉं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

1	2
"42	बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54), के अधीन प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रमाणित ट्रुथफूली लेबलड सीड या सीड जब ये मोहरबंद बैगों या कन्टेनरों में बेचे जाते हैं तथा ऐसे ट्रुथफूली लेबलड या बीज प्रमाणित बीजों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे बीज";

(ii) अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 21 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी तथा प्रथम अगस्त, 2008 से रखी गई समझी जाएंगी :–

1	2
"21 ख	रक्षा मत्रांलय के तोपखाना डिपो तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं को बेचे गए अग्निशस्त्र हथियार एमुनिशन विपनसिस्टम इत्यादि के उपकरण, उपस्कर और स्पेअर पार्टस"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।